सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 100 / 2015 अपील
पंजीयन दिनांक – 06.08.2015
निर्णय दिनांक – 21.03.2018

1. श्री डालचन्द पिता स्व. चुन्नीलाल जी महाजन निवासी माकरड़ा, तहसील आमेट, हाल गोखरों का वास, सादड़ी, तहसील देसूरी जिला पाली।

– अपीलान्ट

बनाम

1. श्री सोहनलाल पिता स्व. चुन्नीलाल जी महाजन निवासी माकरड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमंद।
2. श्री बाबूलाल पिता स्व. चुन्नीलाल जी महाजन निवासी माकरड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमंद।
3. मु. कमला बाई बेवा स्व. कन्हैयालाल जी महाजन, निवासी माकरडा तहसील आमेट, जिला राजसमंद।
4. श्री दिलीप स्व. कन्हैयालाल जी महाजन, निवासी माकरडा तहसील आमेट, जिला राजसमंद।

––रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय तहसीलदार आमेट, जिला राजसमंद प्रकरण संख्या 05 / 2013, निर्णय दिनांक 20.04.2015.

उपस्थितिः–

1. श्री लोकेश गहलोत –– वकील अपीलान्ट
2. श्री पी.सी.पालीवाल – वकील ररेस्पोंडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 21–03–2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार आमेट के प्रकरण संख्या 05 / 2013, निर्णय दिनांक 20.04.2015 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा माकरड़ा ,तहसील आमेट जिला राजसमंद के खाता संख्या 107, 108, 112, व 116 की कृषि भूमि के मूल खातेदार चुन्नीलाल पिता भूरालाल जी महाजन थे। श्री चुन्नीलाल जी की मृत्यु के पश्चात् ग्रम पंचायत माकरड़ा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 172 दिनांक 26.01.1999 को विधिक वारीसों के नाम स्वीकृत किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा प्रथम अपील उपखण्ड़ अधिकारी कुम्भलगढ़ के न्यायालय में पेश की गई। उपखण्ड़ अधिकारी कुम्लगढ़ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.10.2004 से उक्त नामान्तरकरण खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार आमेट को प्रतिप्रेषित किया जाकर दोनों पक्षों को तलब कर एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि संगत एवं गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गयें। उक्त आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर में पेश की गई । न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर ने अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप की गुजांईश नहीं होने से अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने का आदेश पारित किया गया। प्रकरण तहसीलदार आमेट द्वारा पक्षकारों को सुनकर श्री चुन्नीलाल द्वारा अपने भाई भंवरलाल के हिस्से की भूमि जिसकी वसीयत की गई जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। जिसमें अपीलान्ट डालचन्द पिता चुन्नीलाल महाजन का हिस्सा खाता संख्या 107 में 1/32, खाता संख्या 108 में 1/8, खाता संख्या 112 में 1/16 तथा खाता संख्या 116 में 1/16 हिस्से का अपने नाम दर्ज कराने का हक रखता है। जिसे अपीलान्ट के खाते में दर्ज की जाने का आदेश दिया तथा शेष हिस्से में चुँकि चुन्नीलाल की बेवा चान्दी की मोत हो चुकी है अतः विपक्षी श्री कन्हैयालाल, बाबुलाल, सोहनलाल पिता चुन्नीलाल के नाम खाता संख्या 107 में 7/32, खाता संख्या 108 में 7/8, खाता संख्या 112 में 7/16, खाता संख्या 116 में 7/16 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जावें तथा उपखण्ड़ अधिकारी कुम्लगढ़ के निर्णय अनुसार नामान्तरकरण संख्या 172 अपास्त किया जाने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत की गई। रेस्पों. की ओर से क्रोस अपील भी प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति कर बताया कि मौजा माकरड़ा ,तहसील आमेट जिला राजसमंद के खाता संख्या 107, 108, 112, व 116 की कृषि भूमि के मूल खातेदार चुन्नीलाल पिता भूरालाल जी महाजन थे। श्री चुन्नीलाल जी की मृत्यु के पश्चात् उनके विधिक प्रतिनिधि अपीलान्ट डालचन्द, कन्हैयालाल, बाबूलाल व सोहनलाल के नाम ग्रम पंचायत माकरड़ा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 172

दिनांक 26.01.1999 को चारों वारीसों के नाम सही स्वीकृत किया गया। परन्तु रेस्पों श्री कन्हैयालाल , सोहनलाल, बाबूलाल के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में यह आधार लिया गया कि चुन्नीलाल के द्वारा दिनांक 25.05.1994 को वसीयत हमारे पक्ष में निष्पादित कर दिया है इसलिए उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण हमारे नाम पर होना चाहिये था, लेकिन चारों भाईयों के नाम पर दर्ज किया जो गलत है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि में मृतक भंवरलाल के हिस्से की भूमि तक वसीयत को नहीं माना गया और भूमि को मौरुसी माना गया, लेकिन चुन्नीलाल जी के खाते की जमीन को मौरुसी नहीं मानने की भारी भूल की है और वसीयत को सही मानना गलत है। वसीयत के आधार पर खातेदार रेस्पों. अधिकार जाहिर भी करते हैं तो उन्हें सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिये। नामान्तरकरण की सरसरी कार्यवाही में वसीयत के आधार पर खातेदारी अधिकार नामान्तरकरण के जरिये प्रदान नहीं किया जा सकते हैं। अधिवक्ता अपीलान्ट का मुख्य तर्क यह प्रस्तुत किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत को सही मानने में गलती की है। स्व. चुन्नीलाल के खाते की सम्पूर्ण भूमि पैतृक है जिससे अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जाकर उसके सभी वारीसों के नाम नामान्तरकरण खोलने का आदेश प्रदान कराया जावे।

विद्वान वकील रेस्पों. संख्या ने अपनी ओर से प्रस्तुत क्रोस अपील में वर्णित तथ्यों को दोहरात हुए निवेदन किया कि चुन्नीलाल के नाम की सम्पूर्ण भूमि उनकी व्यक्तिगत सम्पति है जिसका उल्लेख चुन्नीलाल जी द्वारा उनके हक में की गई दिनांक 25.05.1994 को रजिस्टर्ड वसीयतनामा में उल्लेख कर रखा है एवं किसी भी भूमि का नामान्तरकरण जिसके नाम खोला जाता है वह उसकी अकेले कि सम्पति हो जाती है। चुन्नीलाल जी के भाई भंवरलाल के खाते की भूमि का नामान्तरकरण उसके कोई सन्तान नहीं होने से भंवरलाल जी की मृत्यु के पश्चात् उसकी बेवा चान्दी बाई के नाम ना.करण दर्ज किय गया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 (3) के अनुसार किसी महिला के उसके पति से प्राप्त सम्पति उसकी पूर्ण मालिक होकर वह उसकी व्यक्तिगत सम्पति मानी जावेगी। श्रीमती चान्दी बाई की मृत्यु होने के बाद उसकी सन्तान नहीं होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार चान्दी बाई के मृत पति श्री भंवरलाल के सगे भाई चुन्नीलाल के नाम खाता खुलते ही उसकी व्यक्तिगत निजी सम्पति हो गई जिससे सम्पूर्ण चुन्नीलाल जी के खाते व नाम की भूमि व्यक्तिगत सम्पति होने से उसके द्वारा की गई रजिस्टर्ड वसीयत पूर्ण रुप से कानूनी व सही है इस तथ्य के खण्डन करने में अपीलान्ट द्वारा कोई दस्तावेज साक्ष्य व विधि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे तथा रेस्पों. द्वारा प्रस्तुत क्रोस अपील स्वीकार फरमाई जाकर चुन्नीलाल के नाम की सम्पूर्ण खाते की भूमि का नामान्तरकरण रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 25.05.1994 के आधार पर रेस्पोंडेन्ट

के नाम खोले जाने का आदेश फरमावे। अपने कथन के समर्थन में ए.आई.आर.2008 एस. सी. पेज 1490 एवं आर.आर.डी. 2016 पेज 280 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। मौजा माकरड़ा ,तहसील आमेट जिला राजसमंद के खाता संख्या 107, 108, 112, व 116 की कृषि भूमि के मूल खातेदार चुन्नीलाल पिता भूरालाल जी महाजन थे। श्री चुन्नीलाल जी की मृत्यु के पश्चात् ग्रम पंचायत माकरड़ा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 172 दिनांक 26.01.1999 को विधिक वारीसों के नाम स्वीकृत किया गया। अपीलान्ट ने अपने कथन में बताया कि ग्रम पंचायत माकरड़ा तहसील आमेट द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण 172 दिनांक 26.01.1999 को चारों विधिक वारिसों के नाम सहीं स्वीकृत किया गया है। जबकि रेस्पों. द्वारा कोस अपील प्रस्तुत कर अपने कथन में बताया कि स्व. श्री चुन्नीलाल के नाम की सम्पूर्ण भूमि उनकी व्यक्तिगत सम्पति है, जिसे वह वसीयत करने का अधिकारी है। जिससे चुन्नीलाल के नाम की सम्पूर्ण खाते की भूमि का नामान्तरकरण रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 25.05.1994 के आधार पर रेस्पोंडेन्ट के नाम खोले जाने का आदेश फरमावे। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण की प्रथम अपील उपखण्ड़ अधिकारी, कुम्भलगढ़ के न्यायालय में पेश हुई तथा उपखण्ड़ अधिकारी द्वारा दिनांक 27.10. 2004 को निर्णय पारित कर नामान्तरकरण संख्या 172 दिनांक 26.01.1999 को खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार आमेट को प्रतिप्रेषित कर दोनों पक्षों को तलब कर एवं सुनवाई का समान अवसर प्रदान करते हुए विधि संगत एवं गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश की द्वितीय अपील न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त उदयपुर के न्यायालय में पेश हुई । न्यायालय अति. सभांगीय आयुक्त उदयपुर द्वारा उपखण्ड़ अधिकारी कुम्भलगढ़ द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखे जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशों की पालना में न्यायालय तहसीलदार आमेट द्वारा प्रकरण में पक्षकारों को सुनकर एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपीलान्ट डालचन्द पिता चुन्नीलाल महाजन का हिस्सा खाता संख्या 107 में 1/32, खाता संख्या 108 में 1/8, खाता संख्या 112 में 1/16 तथा खाता संख्या 116 में 1/16 हिस्से का अपने नाम दर्ज कराने का हक रखता है। जिसे अपीलान्ट के खाते में दर्ज की जाने का आदेश दिया तथा शेष हिस्से में चुँकि चुन्नीलाल की बेवा चान्दी की मोत हो चुकी है अतः विपक्षी श्री कन्हैयालाल, बाबुलाल, सोहनलाल पिता चुन्नीलाल के नाम खाता संख्या 107 में 7/32, खाता संख्या 108 में 7/8, खाता संख्या 112 में 7/16, खाता संख्या 116 में 7/16 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जावें। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम उक्त आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट एवं रेस्पों. द्वारा प्रस्तुत क्रोस अपील को अस्वीकार किया जाता है। तहसीलदार आमेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.04.2015 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर